उत्तराचंल पंचायत विधेयक-2002

(अधिनियम संख्या वर्ष 2002)

विधेयक

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 ग्राम पंचायत की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित उत्तरांचल पंचायत अध्यादेश, 2002 का प्रतिस्थानी विधेयक।

अध्याय-1

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

1- यह अधिनियम (उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947) उत्तरांचल संशोधन विधेयक, 2002 कहा जायेगा।

2- इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

3- यह दिनांक 29 अप्रैल, 2002 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय-2

9. उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (अधिनियम 26 सन् 1947) जिसे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 12 के अन्त में नई उपधारा (3-क) का जोड़ा जाना :-

" इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोकहित में किसी ग्राम पंचायत का संघटन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त, प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, प्रशासक नियुक्त कर सकता है और ऐसा प्रशासक छह माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, पद धारण करेगा और ग्राम पंचायत उसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य यथास्थिति ऐसे प्रशासक में निहित होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायेगा।"।

अध्याय -3

9. श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश संख्या 5, वर्ष 2001 एतद्द्वारा निरसित जाता है।